न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 107 / 2025	2025 / 266	22.07.2025	29.09.2025

1. श्रीमती मोहिनी बेवा चुन्नीलाल बैरवा,
2. हुकमचंद पुत्र चुन्नीलाल बैरवा,
3. राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल बैरवा निवासीयान ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. आकांक्षा पुत्री गिर्राज प्रसाद बैरवा,
2. कमल पुत्र गिर्राज प्रसाद बैरवा,
3. नवल पुत्र गिर्राज प्रसाद बैरवा,
4. योगिता पुत्री गिर्राज प्रसाद बैरवा,
5. लक्ष्मी पत्नी गिर्राज प्रसाद बैरवा,
6. देवीसहाय पुत्र श्योदान बैरवा,
7. भजनलाल पुत्र रामोतार बैरवा,
8. मुकेश कुमार पुत्र रामोतार बैरवा,
9. रमेश पुत्र श्योदान बैरवा,
10. श्रीमती शकुन्तला बेवा रामोतार बैरवा,
11. राकेश पुत्र रामोतार बैरवा निवासीयान ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेन्ट

12. बीरबल पुत्र नारायण जाति प्रजापत,
13. अनिल पुत्र नारायण जाति प्रजापत,
14. सुनील पुत्र बीरबल प्रजापत,
15. विनोद पुत्र चुन्नीलाल प्रजापत निवासीयान बुर्जा तहसील मालाखेडा, अलवर।

—तर० रेस्पोडेन्ट

अपील राजस्व विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2025 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर (राज0)।

उपस्थितः—

1. श्री हेमन्त कुमार, दलेर सिंह —वकील अपीलाण्ट
2. श्री गणपत सिंह नरूका —वकील रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

वकील अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 22.05.2025 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.05.2025 को सादिर फरमाया है, किन्तु हमारे वकील साहब ने उक्त आदेश की बाबत हमें कोई जानकारी नहीं दी और ना हमें अन्य किसी प्रकार से उक्त आदेश की बाबत जानकारी हो सकी। उक्त आदेश की बाबत अपीलांट्स को सर्वप्रथम दिनांक 13.07.2025 को जानकारी हुई, जिस पर हमने उसी दिन नकल प्राप्त करने का

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 14.07.2025 को नकल प्राप्त होने पर उपरोक्त तथ्यों का पता चला, जिससे यह अपील बिना किसी देरी के पेश है, जो उपरोक्त प्रकार से अन्दर मियाद पेश है तथा उपरोक्त समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। अधिनस्थ न्यायालय कतई गलत व खिलाफ कानून गलत तथ्यों के आधार पर आधारित होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से यह कतई साबित नहीं पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा चला आ रहा है, बल्कि उपरोक्त आराजी से अपीलांट्स को कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना कभी उपरोक्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा रहा है। अपीलांट्स के विरूद्ध मौजूदा प्रार्थनां पत्र प्रार्थीगण व तर० रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लागायत 7 ने आपस में मिल्लत करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जबकि अपीलांट्स का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना ही कभी उपरोक्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा रहा। वास्तव में सही तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 750 से लगता हुआ खसरा नम्बर 749 रकबा 0.50 हैक्टेयर है, जो खसरा नम्बर 749 अपीलांट के पूर्वज श्री चुन्नीलाल पुत्र सेढाराम बैरवा को सन् 1975 में राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन व अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण आवंटित किया गया था तथा जिसका कब्जा उसी समय मौके पर दे दिया गया था और जिस पर तभी से अपीलांट के पूर्वज चुन्नीलाल का कब्जा चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास होने के पश्चात अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। असल रेस्पोडेन्ट व तर० रेस्पोडेन्ट आपस में मिल्लत करते हुए हम अपीलांट की खातेदारी की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 749 पर जबरन कब्जा करना चाहते थे और इसी नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अब अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में अपीलांट्स को खसरा नम्बर 749 रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा से बलपूर्वक बेदखल करना चाहते हैं और यदि अपीलांट्स को बेदखल कर दिया यगा तो नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा तथा स्थिति मौका तब्दील हो जावेगी तथा अपीलांट्स तबाह व बरबाद हो जावेंगे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 22.05.2025 निरस्त फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे।

वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि हम रेस्पो0 जाति से बैरवा है और अनुसूचित जाति के सदस्य है और गरीब आदमी है। रेस्पो0 की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.76है0, 760/925 रकबा 0.400, 821 रकबा 0.3280, 822 रकबा 0.01है0 वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी को पूर्व में रेस्पो0 के पिता/पति द्वारा जोत बोह की जाती थी। जिनके स्वर्गवास के बाद रेस्पो0 द्वारा जोत बोह की जा रही थी। अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 03 जो रेस्पो0 की आराजी से लगते हुए आराजी पर काबिज हैं, के द्वारा रेस्पो0 के कमजोर एवं आर्थिक के रूप से सुदृढ नहीं होने के फायदा उठाकर रेस्पो0 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.76है० वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा पर जबरन कब्जा कर लिया और बनियत चोरी रेस्पो0 की खडी हुई सरसों की फसल को काट ले गये। रेस्पो0 विवादित आराजी पर कार्य करने के लिए जाते है तो अपी0 द्वारा मौके पर डरा धमका कर भगा दिया जाता हैं और एलानिया धमकी दी जाती है और यदि तुम आराजी में घुस आये तो तुम्हें जान से खत्म कर देगें। अपी0 तादाद में अधिक है और मुठमर्द लडाकू किस्म के असामाजिक गिरोह के व्यक्ति है और विवादित आराजी पर लढ के बल पर कब्जा किया हुआ है। जबकि विवादित आराजी से रेस्पो0 का कोई सरोकार संबंध नहीं है। प्रार्थीगण को उनकी मालिकाना हक् की आराजी के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा करते रहते है एवं विवादित आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर अमादा रहते है। अपीलाण्ट द्वारा अपील खसरा नंबर 749 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

की आराजी के संबंध में लाई गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उक्त खसरे का कोई उल्लेख नहीं है ना ही कोई संबंध सिद्ध होता है। अपी0 को विवादित आराजी से बेदखल कर रेस्पो0 को कब्जा दिलाये जाने का अधी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 22.05.2025 को चुनौती दी गई है। अपील में अपीलाण्ट ने मुख्य रूप से खसरा नम्बर 749 रकबा 0.50 हैक्टेयर का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि यह भूमि उनके पूर्वज को सन् 1975 में आवंटित की गई थी तथा उस पर उनका कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट का तर्क है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 750 आदि का उपयोग कर वे अपीलाण्ट की खसरा नम्बर 749 पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.76 हैक्टेयर, 760/925 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 821 रकबा 0.32 हैक्टेयर तथा 822 रकबा 0.01 हैक्टेयर से संबंधित है। उक्त आदेश में खसरा नम्बर 749 का कहीं कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही उसका कोई संबंध सिद्ध होता है। पटवार हल्का दादर की जांच रिपोर्ट भी मुख्य रूप से खसरा नम्बर 750, 760/925, 821 एवं 822 पर ही आधारित है, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा दावा की गई खसरा नम्बर 749 का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश में वर्णित आराजी खसरा नम्बरों में कोई समानता नहीं है। अपीलाण्ट का दावा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विषय–वस्तु से असंबद्ध है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय परित किया, वह उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 22.05.2025 को यथावत रखते हुए अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)